122

संख्या– /VI-2/2014–72(1)2012

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर 2014

विषयः– 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत प्रस्तावित राज्य स्तरीय संग्रहालय के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1233/सं0नि0उ0/दो–3/2014–115 दिनांक 05 सितम्बर 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत राज्य स्तरीय संग्रहालय के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–191/VI-2/2013–72(1)2011 दिनांक 30 मार्च 2013 के द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹2500.00 लाख(पच्चीस करोड़) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ₹625.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्या–166/VI-2/2013–72(1)2011 दिनांक 28 मार्च 2014 के द्वारा ₹625.00 लाख (छः करोड पच्चीस लाख)अर्थात कुल धनराशि ₹ 1250.00 लाख (₹ बारह करोड़ पचास लाख) मात्र अवमुक्त की जा चुकी है। इस कम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 625.00 लाख (₹ छः करोड़ पच्चीस लाख) मात्र धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त कार्य के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का समबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18 मार्च, 2014, में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008दि0–15–12–08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV –219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

9– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

11– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। उक्त के सापेक्ष होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय कन्टीजेन्सी मद से वहन किया जायेगा।

13– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–106–संग्रहालय–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना –0101–13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति के कम में संग्रहालय का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

....(3)

पृष्ठांकन संख्या 365 / VI-2 / 2014–72(1) / 2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Culture (S006)

आवंटन पत्र संख्या - **365/VI-2/2014-72(01)/2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1409110150**

अनुदान संख्या - **011**

आवंटन पत्र दिनांक -19-Sep-2014

HOD Name - Director Culture (4780)

1: लेखा शीर्षक

4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04 - कला और संस्कृति

106 - संग्राहलय

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

01 - 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में संग्रहालय का

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	62500000	62500000
	0	**62500000**	**62500000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 62500000